पट्टे नहीं मिलने से सालों की मेहनत पर पानी

■ बाबा मायाराम

यहां खेतों में सिंचाई की अनूठी पद्धति है। न बिजली, न ईंधन फिर भी हो रही है सिंचाई। न इसके लिए किसी प्रकार की बाहरी सहायता मिली है और न ही कोई तकनीकी सहायता। न जंगल में किसी प्रकार का शोर होता है और न ही जंगल का किसी भी प्रकार का नुकसान। बस लोगों के कौशल और श्रम से यह अनोखी पद्धति चल रही है, जिससे प्यासे खेतों की प्यास बुझी है। मैं इसे निहारता ही रहा। लेकिन जब मैं यहां रहने वाले आदिवासियों और गैर आदिवासियों के दुख-दर्द की कहानी सुनने लगा तो यह सौंदर्य काफूर हो गया और असलियत से साक्षात्कार हुआ।

होशंगाबाद जिले के पहाड़ी वनग्राम आंजनढाना के लोगों ने पहाड़ी सतधारा नाले से अपने खेतों तक पानी लाने का काम किया है। इसमें न तो ईंधन की जरूरत है और न ही बिजली की। बस नहर के जरिये पानी खेतों तक पहुंच रहा है। इसमें नहरों का निर्माण इस तरह से किया गया है कि पानी गुरूत्व बल के कारण सरपट दौड़कर प्यासे खेतों की प्यास बुझाता है। प्यासे खेतों को बरसों से पानी मिल रहा है। गांव धन-धान्य से भरपूर है। लेकिन जमीन का अधिकार नहीं मिलने के कारण इस मेहनत पर भी पानी फिर रहा है।

यहां वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। यह गांव इसके अंदर हैं। टाइगर रिजर्व के अंदर के गांवों कों विस्थापित किया जा रहा है। तीन गांवों को हटाया जा चुका है। आंजनढाना जैसे 75 गांवों पर विस्थापन की तलवार लटक रही है। अपने भविष्य को लेकर असमंस और अनिश्चय का वातावरण बना हुआ है।

घने जंगल और पहाड़े के बीच बसा है आंजनढाना। सतपुड़ा की गोद में बसे इस गांव में दूर-दूर घर हैं, घनी आबादी नहीं। घर कच्ची मिट्टी से बने हैं। और गोबर से लिपा-पुता साफ सुथरा आंगन और घरों में सुघड़ता से जमी हुई चीजें हैं। घर के पीछे बाड़ा है जहां सब्जियां लगाई जाती हैं। इफरात पानी है और प्रकृति की छटा निराली है। पर यहां के लोगों का जीवन संघर्ष कठिन है। अधेड़ उम्र का रामसिंह अहीर कहता है- हम पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं। खेती-किसानी कर रहे हैं। जंगल से निस्तार कर रहे है। हमारे पास अपने पिताजी के नाम का पुराना जमीन का पट्टा है। लेकिन हमें अब नए वन अधिकार कानून के तहत् पट्टा नहीं मिल रहा है। हमसे 75 साल के निवास का सबूत मांगा जा रहा है। जबकि हमारे गांव के आदिवासियों को पट्टा दिया जा रहा है। हमें क्यों पट्टा नहीं दिया जा रहा है। हमारा क्या कसूर है।

आमतौर पर इस इलाके में अधिकांश गांवों में गोंड-कोरकू हैं। लेकिन कुछ गांवों में गैर आदिवासी भी हैं। वन ग्राम आंजनढाना में अहीर समुदाय के करीब 20 परिवार हैं। रामसिंह उनमें से एक है। इस समुदाय के लोग जीविकोपार्जन के लिए पशुपालन और खेती-किसानी करते हैं। मैदानी क्षेत्रों में इनका व्यवसाय दूध बेचने का है पर जंगल के अंदर होने के कारण यह संभव नहीं है। रामसिंह का परिवार पीढ़ियों से यहां का रहने वाला है। उसके पिताजी रामरतन के नाम 5 एकड़ जमीन का पट्टा भी है। लेकिन जब उसने वन अधिकार कानून 2006 के तहत दावा फार्म भरा तो उसे अमान्य कर दिया। उसे ठीक-ठीक यह नहीं पता कि किस कारण से ऐसा किया गया। पर उसके मुताबिक हमें पट्टा लेने के लिए 75 साल का सबूत देना होगा, जो हमारे पास नहीं है। जबकि खेती के अलावा, हमारे जीने का कोई सहारा नहीं है।

वन अधिकार कानून के अनुसार आदिवासियों को छोड़कर दूसरे समाज के लोगों को 75 साल के निवास का सबूत देना होगा, तभी अधिकार पत्र दिया जाएगा। लेकिन रामसिंह और उसके जैसे ग्रामीणों का कहना है कि रिकार्ड तो सरकार के पास होगा। हम तो इतना जानते हैं कि हमारी पीढ़ियां यहां गुजर गईं। हमारे पुरखों की जिंदगियां बीत गई। हम यहीं के बाशिंदें हैं। इसी प्रकार यहां के मंगलसिंह ने कहा हमने दावा किया जरूर था लेकिन वनविभाग के लोगों ने कहा कि तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि सबूत नहीं है। इसी तरह मंगलसिंह और अन्य यादव समाज के लोगों को जमीन का अधिकार नहीं मिला।

इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी गैर आदिवासियों को इस कानून के तहत् अधिकार पाने में मुश्किलें आ रही हैं। होशंगाबाद जिले के ही सोहागपुर तहसील के गांव घोघरी के रामभरोस गाडरी की भी यही कहानी है। गाडरी बकरी और भेड़पालन का काम करते हैं। लेकिन अब चरनोई की जमीन नहीं होने या कम होने यह काम मुश्किल होता जा रहा है। उनका परिवार करीब 40 साल से खेती कर रहा है। दावा फार्म भरा था लेकिन यह कहा गया कि राजस्व ग्राम के लोगों को नहीं मिलेगा। जबकि वनभूमि पर वे खेती कर रहे हैं।

जिला वन अधिकार समिति के सदस्य और जिला पंचायत सदस्य फागराम का कहना है कि देष को आजाद हुए अब तक 75 साल नहीं हुए हैं। गैर आदिवासियों कहां से सबूत देंगे? उन्होंने कहा कि इस कानून के नियम 13 में उल्लखित सबूतों में गांव के दावेदारों से भिन्न किसी बुजुर्ग व्यक्ति के बयान को भी सबूत माना गया है, जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए। अन्यथा कई लोग जमीन के अधिकार से वंचित हो जाएंगे।

वन अधिकार कानून की प्रक्रिया में कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। एक तो इसके बारे में ग्राम वन अधिकारी के सदस्यों और पदाधिकारियों को ही ठीक से मालूम नहीं है। उन्हें किसी तरह का प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया है। और जहां प्रशिक्षण दिया भी गया है, वह नाकाफी है। इस कानून की पूरी जानकारी न होने के कारण भी भ्रम की स्थिति बनी रहती है। गैर आदिवासियों के मामले में भी यही है। दावा फार्म के साथ दो सबूत भी देने हैं। उसमें से एक गांव के किसी बुजुर्ग व्यक्ति का बयान भी शामिल है, पर यह नहीं किया गया है।

वन अधिकार कानून के मुद्दे पर सक्रिय किसान आदिवासी संगठन ने यह मांग उठाई थी कि गैर आदिवासियों के लिए सरकार रिकार्ड उपलब्ध कराए और सबूत दे। लेकिन यह आज तक नहीं किया गया है। इस पर किसान आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता राजीव बामने का कहना है कि वन अधिकार कानून के तहत लोगों को अधिकार देने की मंशा नजर नहीं आ रही है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं और उनकी यह रिपोर्ट सी. एस. ई. मीडिया फैलोशिप, 2011 के तहत है)

28 April 2011,Editorial Page, Daily Chhattisgarh, Raipur, C.G